न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2020/1158/जिला–अजमेर

श्री नानू पुत्र स्वर्गीय लूम्बा, जाति भील निवासी ग्राम लामाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर मृतक जरिये विधिक वारिसानः–

1. श्री दवदत्त पुत्र स्व0 नानू जाति भील उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम लामाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्रीमती मीना उर्फ मैना पुत्री स्व0 नानू पत्नी श्री पप्पूलाल जाति भील उम्र 48 वर्ष निवासी न्यू आर.पी.एस.सी के पीछे ग्राम बंदिया जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन तहसील कार्यालय पीसांगन जिला अजमेर।
2. मंगलाराम पुत्र स्व0 श्री श्रवण
3. कालू पुत्र स्व0 श्री श्रवण
4. नानू पुत्र स्व0 श्री श्रवण
5. गोलू पुत्र स्व0 श्री रामदेव
6. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व0 श्री रामदेव
7. अमरा उर्फ अमरचन्द पुत्र स्व0 रामदेव
8. छोटू पुत्र स्व0 रामदेव
9. किशना पुत्र कज्जा
   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लामाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
10. मादू पुत्र स्व0 लाला मृतक जरिये विधिक वारिसान पुत्री छोटी देवी पुत्री स्व0 मादू पत्नी श्री बोधू निवासी ग्राम देवगढ़ वाया खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 13–10–2020
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 181/2017
बउनवान नानू बनाम राज0 सरकार व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री आफताब़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री तेजेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 से 10

निर्णय

दिनांकः– 13–02–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–10–2020 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थीगण के पिता स्व0 नानू पुत्र लूम्बा द्वारा दिनांक 18–6–1983 को ग्राम लामाना तहसील पीसांगन स्थित कृषि भूमि जिसका खाता नम्बर 185 खसरा नम्बर 192 रकबा 3–11–00 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 10 के पूर्वजों बगता पुत्र लाला, श्रवण पुत्र ज्वारा, रामदेव पुत्र कज्जा से खरीद कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था जिसका स्व0 नानू के नाम राजस्व रेकार्ड एवं वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के खाता संख्या 185 में दर्ज नवीन खसरा नम्बर 517 रकबा 3–11–00 का जरिये नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 25–4–1991 को दर्ज किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता नानू बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज होकर भौतिक रूप से काबिज चले आ रहे थे। हाल भू–संशोधन के दौरान राजस्व कर्मियों द्वारा जो आधार/रोटेशन जमाबंदी सम्वत 2072–2075 तैयार की गई थी उसके नए खाता संख्या 569 में दर्ज खसरा नम्बर 507 रकबा 1.03 हैक्टर के साथ गलत एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के पिता श्रवण एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 से 8 के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया था जबकि स्व0 नानू की उक्त वर्णित कृषि भूमि में अलग से खाता दर्ज किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में दर्ज अपीलार्थीगण के पिता की खातेदारी का इन्द्राज किया जाना कानूनन आवश्यक होने के बावजूद भी नानू के नाम उसकी खरीदशुदा आराजी के नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 25–4–1991 का वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 569 में खातेदारी का इन्द्राज त्रुटिवश नहीं किया गया था। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु अपीलार्थीगण के पिता स्व0 नानू द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें राज0 सरकार सहित सभी प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस प्राप्ति के पश्चात

प्रत्यर्थी संख्या 1 राज0 सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया कि प्रार्थी ने ग्राम लामाना की वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 185 में दर्ज खातदारेां मादू, बगता पुत्र लाला 1/3 हिस्सा, श्रवण पुत्र ज्वारा, रामदेव, किशना पुत्र कज्जा से रजिस्टर्ड बयनामा से खसरा नम्बर 192 रकबा 3–11–00 क्रय किया है। विक्रय पत्र में मादू पुत्र लाला, किशना पुत्र कज्जा के विक्रेता के रूप में शामिल नहीं होने व हस्ताक्षर नहीं होने से विक्रय पत्र खसरा नम्बर 192 के सम्पूर्ण क्षैत्रफल प्रभावी नहीं होता है। राज0 सरकार द्वारा जवाब में यह स्वीकार किया है कि वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 185 में खसरा नम्बर 517 रकबा 3–11–00 पर नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 25–4–1991 से क्रेता नानू पुत्र लूम्बा भील के नाम का अंकन हो रखा है। राज0 सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित है कि दिनांक 18–6–1983 को अपीलार्थी नानू के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था उसमें विक्रेतागण बगता पुत्र लाला, श्रवण पुत्र ज्वारा, रामदेव पुत्र कज्जा द्वारा बतौर विक्रेता हस्ताक्षर करते हुए विक्रय पत्र के पहले पृष्ठ पर ही उल्लेख किया गया है कि पूर्व में विक्रेतागण के पूर्वजों व उनके भाईयों की ग्राम लामाना में संयुक्त खातेदारी थी किन्तु उनका आपस में बंटवारा हो गया और बंटवारे के अनुसार अपने–अपने खसरा नम्बर की आराजी का हक अधिकार हो गया और अलग–अलग खातेदार है तथा विक्रेतागण अपने हिस्से में आई भूमि को विक्रय कर रहे है। इससे स्पष्ट है कि विक्रय की गई कृषि भूमि से मादू एवं किशना का किसी भी प्रकार से सरोकार नहीं था और ना ही विक्रय किये जाने के समय से लेकर नामान्तरकरण खोले जाने के समय तक उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। इसके अलावा पंजीयन विभाग एवं तहसीलदार कार्यालय में भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। स्व0 नानू द्वारा कृषि भूमि खरीद किये जाने के लगभग 40 वर्षे बीत जाने के दौरान मादू व किशना अथवा उनके वारिसान की ओर से इस बाबत कभी कोई आपत्ति नहीं की गई इससे स्पष्ट है कि राज0 सरकार द्वारा तथ्यों व दस्तावेजों का सही तरीके से अवलोकन किये बिना जवाब प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी नानू की ओर से किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कानूनी बाधा से बचने केलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के जवाब के आधार पर मादू व किशना को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के जरिये नोटिस प्रेषित करवाया जो तामील भी हुआ था। तामीली रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि मादू पुत्र लाला की मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मादू की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी जिसके कारण मादू की एक मात्र संतान पुत्री छोटी देवी को पक्षकार बनाने हेतु नोटिस भेजा गया था परन्तु छोटी देवी एवं किशना दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। प्रत्यर्थी संख्या 2 सें 8 की ओर से धारा 136 के प्रार्थना पत्र का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जवाब नहीं दिया गया बल्कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में विवादित आराजी बाबत न्यायलय हाजा में एक अन्य प्रकरण संख्या 3/2013 उनवान नानू

बनाम सरकार के नाम से ही विचाराधीन था जिसमें दिनांक 27–12–2013 को न्यायालय हाजा द्वारा आदेश पारित किया गया था। उक्त प्रकरण में विवादित आराजियात बाबत न्यायालय पूर्व में आदेश पारित कर चुका है इस कारण वर्तमान प्रकरण में सीपीसी की धारा 11 के तहत पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होकर न्यायालय को वर्तमान प्रकरण में सुनवाई का अधिकार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण पर धारा 11 सीपीसी के तहत पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है क्योंकि प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 10 पूर्व प्रकरण में पक्षकार नहीं थे और ना ही उनके पक्ष में अथवा उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा कोई आदेश ही पारित किया गया था। कोई भी न्यायायालय ऐसे वाद का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षत और सारतः विवाधक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारेां के बीच के जिनमें उत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाधक रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का था उस वाद का जिसमें ऐसा विवाधक बाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था। धारा 11 सीपीसी के तहत पूर्व न्यायिक सिद्धान्त लागू होने के लिए चार आवश्यक तत्व होने चाहिए जिसमें समान पक्षकार, समान वाद हेतुक, समान विषय वस्तु, वाद को गुणावगुण पर सुना जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया गया हो जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्रकरण इस आधार पर खारिज किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र में विक्रेतागण अथवा उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया था जो कि आवश्यक पक्षकार थे। पूर्व प्रकरण में केवल राज0 सरकार को ही पक्षकार बनाया गया था इस कारण से पूर्व प्रकरण गुणावगुण के आधार पर खारिज नहीं किया गया था बल्कि हितबद्ध पक्षकारों के अभाव में पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर खारिज किया गया था। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पूर्व आदेश में उल्लेख किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 25–4–1991 विक्रय पत्र दिनांक 2–7–1983 के अनुसार भरा हुआ नहीं है बल्कि दिनांक 31–7–74 के अनुसार भरा जाकर स्वीकृत हुआ है इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 48 विक्रय पत्र दिनांक 2–7–83 के अनुसार भरा नहीं होने के कारण राजस्व रकार्ड में सही अंकन नहीं हो सका। नामान्तरकरण संख्या 48 विक्रय पत्र दिनांक 2–7–83 के अनुसार ही भरा हुआ है क्योंकि उक्त विक्रय पत्र अपीलार्थी स्व0 नानू के नाम ही निष्पादित किया हुआ है जिसका जमाबंदी में बहुत ही छोटे अक्षरों में इन्द्राज किया हुआ है जबकि दिनांक 31–7–1994 का विक्रय पत्र मोटा पुत्र बुद्ध जाति भांबी के नाम का है उसका खसरा नम्बर 252 है जिससे प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है।वर्किंग जमाबंदी में 31–7–94 के विक्रय पत्र का इन्द्राज बड़े अक्षरों में होने तथा उसके नीचे की ओर बहुत छोटे अक्षरों में 2–7–83 के विक्रय पत्र का इन्द्राज होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्य का सही ढंग से अवलोकन नहीं हो पाया जिसके कारण तकनीकी आधार पर त्रूटिपूर्ण निर्णय पारित हो गया। प्रकरण को तकनीकी बिन्दु पर खारिज करने के बजाय दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में धारा 11 सीपीसी के सन्दर्भ में अपना मत निर्धारित किया है कि पूर्व मुकदमें में प्रत्यक्ष और

पर्याप्त रूप से मुद्दा उठाया जाना चाहिए था और दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु पूर्व प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 10 पक्षकार ही नहीं थे तो उनके द्वारा अभिवचन को अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2020 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त लिखित बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 से 10 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13–10–2020 विधिसम्मत आदेश है क्योंकि प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी को स्वीकार कर विधिसम्मत आदोश पारित किया है उक्त आदेश पारित करने में परीक्षण न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमें नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 25–4–1991 को आवेदन पत्र पेश किया उसी नामान्तकरण को लेकर अपीलार्थी ने पूर्व में इसी धारा में एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 3/2013 इसी न्यायालय में पेश किया गया था जिसे बाद सुनवाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा गुणागुण पर सुनकर खारिज फरमा दिया था जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा आज दिनांक तक कोई अपील या चाराजोही नहीं की है तथा पुनः दुबारा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व सिद्धान्त (रेसज्यूडिकेटा) से बाधित होने से अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व एवं वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वादग्रस्त आराजियात, पक्षकारान एवं नामान्तकरण संख्या एवं प्रकरण की विषय वस्तु एक समान होने से प्रस्तुत प्रकरण विधि के सुस्थापित सिद्धान्त रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत इसी आराजी एवं नामान्तरकरण संख्या 48 के विरूद्ध अपील संख्या 3/2013 प्रस्तुत की है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर सुनकर नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 25–4–91 जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31–7–74 से भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त नामान्तरकरण संख्या में अंकित खसरा नम्बर 517 विक्रय पत्र दिनांक 2–7–83 से प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है एवं बेचान में मादु पुत्र लाला व किशना पुत्र कज्जा खातेदार शामिल नहीं है एवं न ही उक्त बेचान में सहमति दी गई है। अतः नामान्तरकरण

संख्या 48 दिनांक 25–4–1991 विक्रय पत्र दिनांक 2–7–83 के अनुसार नहीं भरे होने से अन्य राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज सही अंकन नहीं हो सका। तहसीलदार, पीसांगन द्वारा भी उल्लेख किया है कि वर्किंग जामबंदी में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में विक्रेतागण के साथ–साथ अन्य खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है फिर भी वर्णित सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थी अपने हक में किस दस्तावेज/रेकार्ड को आधार मानकर स्वीकृत किया गया। साथ ही हितबद्ध पक्षकारें को पक्षकार भी नहीं बनाया गया जिससे संबंधित खातेदारों के हित प्रभाावित होने से पक्षकार बनाए बिना तथा रेकार्ड से सिद्ध किये बिना अपीलार्थी राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के पूर्व आदेश दिनांक 27–12–2013 के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी किन्तु अपीलार्थी ने पूर्व आदेश के विरूद्ध कहीं अपील नहीं कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वादग्रस्त आराजियात, पक्षकारान एवं नामान्तकरण संख्या एवं प्रकरण की विषय वस्तु एक समान होने से प्रस्तुत कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी पक्षकार के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए सक्षम न्यायालय घोषणा का दावा करना चाहिए।'' जिससे यह स्पष्ट है कि यदि अपीलार्थीगण को अपने स्वत्व प्राप्त करने है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2020 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–10–2020 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 181/2017 नानू बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर